CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXXIV, Sixteenth Session, 2018-2019/1940 (Saka) No. 2, Wednesday, December 12, 2018/Agrahayana 21, 1940 (Saka)

| <u>SUBJECT</u> | <u>P A G E S</u> | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| | | |
| MEMBERS SWORN | 11 | |
| OBITUARY REFERENCES | 12-17 | |
| ORAL ANSWER TO QUESTION | | |
| Starred Question No. 21 | 19-22 | |
| | | |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| Starred Question Nos.22 to 40 | 23-77 | |
| Unstarred Question Nos.231 to 460 | 78-713 | |

| RESIGNATION BY MEMBER | 715 |
|---|-------------|
| FELICITATION BY THE SPEAKER Successful launch of satellites by Indian Space Research Organisation (ISRO) and Winning medals by Indian boxers in World Boxing Championship held in New Delhi | 716-717 |
| PAPERS LAID ON THE TABLE | 718-721 |
| ASSENT TO BILLS | 722-724 |
| STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 214 th and 215 th Reports | 724 |
| STATEMENTS BY MINISTERS | |
| (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 309 th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environmentand Forests on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology. |) t) |
| Dr. Mahesh Sharma | 725 |

| (ii)(a) | Status of implementation of the recommendations contained in the 312 th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on the Demands for Grants (2018-2019) pertaining to Department of Space. | 726 |
|---------|---|---------|
| | pertaining to Department of Space. | 720 |
| (b) | Status of implementation of the recommendations contained in the 307 th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 299 th Report of the Committee on the Demands for Grants (2017-18), | |
| | pertaining to the Department of Atomic Energy | 727 |
| (c) | Status of implementation of the recommendations contained in the 314 th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on the Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Atomic Energy | |
| | Dr. Jitendra Singh | 728 |
| | | |
| DAM S | SAFETY BILL, 2018 | 730-733 |
| MATTE | ERS UNDER RULE 377 | 734-758 |
| ` ' | Need to run a Toy Train between Mussoorie and Dehradun in Uttarakhand | |
| | Shrimati Mala Rajyalaxmi Shah | 735 |

| (ii) | Need to enact a law to regulate functioning of sports federations in the country | |
|-------|--|-----|
| | Shri Prahlad Singh Patel | 736 |
| (iii) | Need to expedite launching of ropeway service at Jalore Fort in Rajasthan | |
| | Shri Devji M. Patel | 737 |
| (iv) | Need to provide drinking water in Darbhanga Parliamentary Constituency, Bihar and also compensation to farmers who lost their crops due to inadequate irrigation facilities | |
| | Shri Kirti Azad | 738 |
| (v) | Need to set up new thermal power plants at Chandrapura and Bokaro in Jharkhand | |
| | Shri Ravindra Kumar Pandey | 739 |
| (vi) | Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Debua Posi in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand | |
| | Shri Laxman Giluwa | 740 |

| (vii) | Need to provide stoppage to various trains at railway stations under Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar | |
|--------|--|-----|
| | Shri Sushil Kumar Singh | 741 |
| (viii) | Need to stop the move to close down schools having fewer number of students in Jharkhand and also regularize the services of eligible para teachers in the State | |
| | Shri Ram Tahal Chaudhary | 742 |
| (ix) | Need to include Udaipur city in Rajasthan under B-2 category cities | |
| | Shri Arjun Lal Meena | 743 |
| (x) | Need to ban plastic for packaging food items and take adequate measures for recycling of plastic garbage | |
| | Shri Ajay Misra Teni | 744 |
| (xi) | Need to introduce All India Judicial Services | |
| | Dr. Udit Raj | 745 |
| | | |

| Need to provide special package to Kerala affected by floods | |
|--|--|
| Shri Mullappally Ramachandran | 746 |
| Need to provide financial assistance to Cyclone-hit Tamil Nadu | |
| Shri V. Elumalai | 747-749 |
| Need to set up Multi-purpose cyclone Centres in Tamil Nadu | |
| Shri K. Ashok Kumar | 750-751 |
| Regarding devastation caused by cyclone 'TITLI' in Sirkakulam district of Andhra Pradesh | |
| Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu | 752-753 |
| Need to include Tulu language in the Eighth Schedule to the Constitution | |
| Shri P. Karunakaran | 754 |
| Regarding fixation of Minimum Support Price | |
| Shrimati Supriya Sadanand Sule | 755 |
| | Shri Mullappally Ramachandran Need to provide financial assistance to Cyclone-hit Tamil Nadu Shri V. Elumalai Need to set up Multi-purpose cyclone Centres in Tamil Nadu Shri K. Ashok Kumar Regarding devastation caused by cyclone 'TITLI' in Sirkakulam district of Andhra Pradesh Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu Need to include Tulu language in the Eighth Schedule to the Constitution Shri P. Karunakaran Regarding fixation of Minimum Support Price |

| (xviii) | Need for all-round development of Rajgir, Nalanda and Bodh Gaya in Bihar | |
|-------------|--|---------|
| | Shri Kaushalendra Kumar | 756 |
| (xix) | Need to fill vacant posts of teachers in the country | |
| | Shri Raju Shetty | 757 |
| (xx) | Need to establish a Kendriya Vidyalaya at Punalur in Kollam, Kerala | |
| | Shri N.K. Premachandran | 758 |
| <u>ANNE</u> | XURE – I | |
| Memb | er-wise Index to Starred Questions | 762 |
| Memb | er-wise Index to Unstarred Questions | 763-767 |
| <u>ANNE</u> | XURE – II | |
| Minist | ry-wise Index to Starred Questions | 768 |
| Minist | ry-wise Index to Unstarred Questions | 769-770 |

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA

Wednesday, December 12, 2018/Agrahayana 21, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

MEMBERS SWORN

माननीय अध्यक्ष : अभी दो नए माननीय सदस्य शपथ लेंगे। दो सदस्यों को शपथ लेनी है, पहले उसे करवा देते हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: The names of the Members will now be called by the Secretary-General.

SECRETARY GENERAL: Shri V.S. Ugrappa.

Shri V.S. Ugrappa (Bellary) - Oath - Kannada

Shri L.R. Shivarame Gowda (Mandya) - Oath - Kannada

11 05 hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को ग्यारह पूर्व सदस्यों सर्वश्री मंसूर अली खान, पूरन चंद्र, पी. माणिक रेड्डी, गुरुदास कामत, मोहन जैन, शांताराम पोतदुखे, सुश्री कमला कुमारी, नारायण दत्त तिवारी, मदन लाल खुराना, नारायण स्वरूप शर्मा और सी.के. जाफर शरीफ के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री मंसूर अली खान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोक सभा के सदस्य थे। वे वर्ष 1999 से 2000 तक रक्षा संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री मंसूर अली खान का निधन 77 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में हुआ था।

श्री पूरन चंद्र उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री पूरन चंद्र वर्ष 1969 से 1984 तक तीन बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री पूरन चंद्र ने कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की तथा सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री पूरन चंद्र का निधन 84 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 2018 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री पी. माणिक रेड्डी आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना) के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोक सभा के सदस्य थे। वे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री पी. माणिक रेड्डी का निधन 75 वर्ष की आयु में 19 अगस्त, 2018 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ।

श्री गुरुदास कामत महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 10वीं लोक सभा, मुंबई उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं तथा 14वीं लोक सभा तथा मुम्बई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गुरुदास कामत केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा गृह राज्य मंत्री भी रहे। एक योग्य संसदिवद्, श्री कामत ऊर्जा संबंधी समिति के सभापित और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे।

श्री गुरुदास कामत का निधन 63 वर्ष की आयु में 22 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री मोहन जैन मध्य प्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़) के दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री जैन अनेक सामाजिक कल्याण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहे।

श्री मोहन जैन का निधन 83 वर्ष की आयु में 16 सितम्बर, 2018 को भिलाई, छत्तीसगढ़ में हुआ।

श्री शांताराम पोतदुखे महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं से 10वीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री पोतदुखे वर्ष 1991 से 1993 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री पोतदुखे ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया।

श्री शांताराम पोतदुखे का निधन 85 वर्ष की आयु में 23 सितम्बर 2018 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ।

सुश्री कमला कुमारी बिहार (वर्तमान झारखंड) के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा की सदस्य थीं। वे वर्ष 1982 से 1983 तक केंद्रीय कृषि और ग्रामीण पुनर्गठन उपमंत्री रहीं।

सुश्री कमला कुमारी ने बालिका शिक्षा और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

सुश्री कमला कुमारी का निधन 81 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर, 2018 को रांची, झारखंड में हुआ।

श्री एन.डी. तिवारी उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखंड) के नैनीताल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह 1985 से 1988 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री एन.डी. तिवारी केन्द्रीय वित्त और वाणिज्य, विदेश, योजना और उद्योग मंत्री रहे तथा उन्होंने इस्पात और खान मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री तिवारी उत्तर प्रदेश के तीन बार और उत्तराखंड के एक बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री तिवारी नौ बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और उत्तराखंड विधान सभा के सदस्य भी रहे। वह चार बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

स्वतंत्रता सेनानी श्री एन.डी. तिवारी ने वर्ष 1942-44 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था।

लेखन प्रतिभा के धनी, श्री एन.डी. तिवारी 'प्रभात' के संपादक रहे और उन्होंने विभिन्न समाचार-पत्रों में समसामायिक विषयों पर अनेक लेख लिखे। उन्होंने 'यूरोपियन मिसेलेनी' नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की।

श्री एन.डी. तिवारी का निधन 93 वर्ष की आयु में 18 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री मदन लाल खुराना दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं और दसवीं एवं दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री मदन लाल खुराना वर्ष 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्य मंत्री रहे और वर्ष 1998 से 1999 तक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री भी रहे।

अपने लंबे संसदीय और राजनीतिक कार्यकाल के दौरान श्री खुराना वर्ष 2004 में राजस्थान के राज्यपाल रहे और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री मदन लाल खुराना का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के सदस्य थे। श्री शर्मा, नियम समिति, ग्रंथालय समिति, न्यायाधीश (जांच) नियम संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा का निधन 88 वर्ष की आयु में 7 नवम्बर, 2018 को लंदन में हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ कर्नाटक के मैसूर-कनकपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं लोक सभा और बंगलौर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी से दसवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री सी.के. जाफर शरीफ केंद्रीय रेल मंत्री तथा केंद्रीय रेल, सिंचाई और कोयला राज्य मंत्री रहे। उनका निधन 85 वर्ष की आयु में 25 नवम्बर, 2018 को बेंगलुरू, कर्नाटक में हुआ।

हम अपने 11 पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, अम्बरीश जी का भी है।

माननीय अध्यक्ष : कल करेंगे।

11 14 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ऊँ शांति, शांति।

जो बाकी रह गए हैं, उन्हें कल करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, अम्बरीश जी का है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला है कि कल करेंगे।

11 15hrs

At this stage, Shrimati V. Sathyabama, Kumari Sushmita Dev, Shri Arvind Sawant, Shri Jayadev Galla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

<u>11 16 hrs</u>

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Now, Question No. 21 - Shrimati M. Vasanthi.

... (Interruptions)

(Q. 21)

माननीय अध्यक्ष: ये प्रश्न नहीं पूछ रही हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : जुगल किशोर शर्मा जी, आप सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री जुगल किशोर: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवादा...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जम्मू से लेकर पुंछ तक की रेलवे लाइन बिछाने का जो सर्वे होना था, वह सर्वे पूरा हो चुका है।... (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ कि जम्मू से पुंछ रेलवे लाइन का काम कब शुरू किया जाएगा? ...(व्यवधान) इसकी वजह बहुत सारी परेशानियाँ जम्मू, राजौरी और पुंछ के लोगों को आ रही हैं।...(व्यवधान) इस लाइन के बनने से यहाँ के लोगों को इन परेशानियों से निजात मिलेगी।...(व्यवधान) जम्मू से पुंछ तक रेल पटरी बिछाने का काम कब शुरू किया जायेगा? ...(व्यवधान)

महोदया, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवादा... (व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा: महोदया, यह टेलीकॉम से सम्बन्धित प्रश्न है, इससे रेलवे का कोई सम्बन्ध नहीं है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. This is not the way. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 noon.

<u>11 17 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12 00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock

(Hon. Speaker in the Chair)

12 0 ½ hrs

At this stage Shri Rajeev Satav, Shrimati V. Sathyabama, Shri Anandrao Adsul and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

12 01hrs

RESIGNATION BY MEMBER

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मेघालय के तुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री कॉनराड कोंगकल संगमा ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 4 सितम्बर, 2018 को स्वीकृत किया है।

...(<u>व्यवधान</u>)

12 02hrs

FELICITATION BY THE SPEAKER

Successful launch of satellites by Indian Space Research Organisation (ISRO) and

Winning medals by Indian boxers in World Boxing Championship held in New Delhi

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बधाई तो दीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 5 दिसम्बर, 2018 को दक्षिण अमेरिका में फ्रेंज गुयाना में स्पेस पोर्ट ऑफ कॉरू से जीसैट-11 उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। लगभग 5854 किलोग्राम वजन वाला जीसैट-11, इसरो द्वारा निर्मित सबसे अधिक वजन वाला उपग्रह है। यह उपग्रह सम्पूर्ण देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, यह दूर-दराज के उन स्थानों में उपग्रह-आधारित इंटरनेट भी प्रदान करेगा जहां केबल-आधारित इंटरनेट नहीं पहुँच सकता है।

माननीय सदस्यगण, इसरो ने 14 और 29 नवम्बर, 2018 को जीसैट-29 उपग्रह तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।

माननीय सदस्यगण, हम सबके लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि राज्य सभा में हमारी सहयोगी श्रीमती एम.सी. मैरी कॉम ने 24 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 48 किलोग्राम श्रेणी में ऐतिहासिक छठा स्वर्ण पदक जीता। सुश्री सोनिया चहल ने भी 57 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता है।

मैं दोनों को ही सदन की तरफ से बहुत-बहुत शुभेच्छा देती हूं, अभिनन्दन करती हूं। इसरो की टीम को भी मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

12 04hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, the Papers to be laid on the Table of the House.

Dr. Harsh Vardhan.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Sir, on behalf of Dr. Harsh Vardhan, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Biotechnology Industry Research Assistance Council and the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9821/16/18]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9822/16/18]

- (2) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2017- 2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9823/16/18]

- (3) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9824/16/18]

(4) (एक) उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलाँग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलाँग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9825/16/18]

...(<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND

PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, I beg to lay on the

Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian

Statistical Institute, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited

Accounts.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the

year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 9826/16/18]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 2018 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 7)।

[Placed in Library, See No. LT 9827/16/18]

(2) राष्ट्रपति द्वारा २६ सितम्बर, २०१८ को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (२०१८ का संख्यांक ८)।

[Placed in Library, See No. LT 9828/16/18]

(3) राष्ट्रपति द्वारा २ नवम्बर, २०१८ को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (२०१८) का संख्यांक ९)।

[Placed in Library, See No. LT 9829/16/18]

...(व्यवधान)

12 07 hrs

ASSENT TO BILLS*

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table the following eight Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifteenth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 10th August, 2018:-

- (i) The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2018;
- (ii) The National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2018;
- (iii) The Appropriation (No. 4) Bill, 2018;
- (iv) The Appropriation (No. 5) Bill, 2018;
- (v) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018;
- (vi) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018;
- (vii) The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018;
 and
- (viii) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2018.

I also lay on the Table one copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following ten Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

- (i) The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018;
- (ii) The Specific Relief (Amendment) Bill, 2018;

_

 $^{^{*}}$ Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9830/16/18.

- (iii) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018;
- (iv) The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Bill, 2018;
- (v) The criminal Law (Amendment) Bill, 2018;
- (vi) The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018;
- (vii) The National Sports University Bill, 2018;
- (viii) The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill,2018;
- (ix) The Scheduled Castes and The Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018; and
- (x) The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018.

// / //

12 07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 214TH and 215TH Reports

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

- (1) 214th Report of the Committee on 'Working Conditions in Border Guarding Forces (Assam Rifles, Sashastra Seema Bal, Indo-Tibetan Border Police and Border Security Force).
- (2) 215th Report of the Committee on 'Working Conditions in Non-Border Guarding Central Armed Police Forces (Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force and National Security Guard).

12 08 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 309th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2018- 19) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, on behalf of my colleague, Dr. Harsh Vardhan, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 309th Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9831/16/18.

12 08 ½ hrs

(ii) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 312th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on the Demands for Grants (2018-2019) pertaining to Department of Space*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, with your permission, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 312th Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment and Forests on the Demands for Grants (2018-2019) pertaining to Department of Space.

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9832/16/18.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 307th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 299th Report of the Committee on the Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Atomic Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, with your permission, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 307th Report of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 299th Report of the Committee on the Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Department of Atomic Energy.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9833/16/18.

(c)Status of implementation of the recommendations contained in the 314th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment

and Forests on the Demands for Grants (2018-19) pertaining to the

Department of Atomic Energy*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF

NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME

MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF

PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE

IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN

THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam, with your

permission, I beg to lay the following statements regarding the status of

implementation of the recommendations contained in the 314th Report of the

Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on

the Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Atomic

Energy.

... (Interruptions)

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9834/16/18.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, यद्यपि मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता हैं, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमित प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

12 09 hrs

DAM SAFETY BILL, 2018*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of my colleague, Shri Nitin Gadkari, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for surveillance, inspection, operation and maintenance of specified dams for prevention of dam failure related disasters and to provide for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for surveillance, inspection, operation and maintenance of specified dams for prevention of dam failure related disasters and to provide for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto."

... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I stand here to oppose the introduction of this Bill because it does not come under the purview of this House or the Parliament. The Union Government does not have legislative competence to legislate on this Bill as the subject comes under the purview of State Governments as per List II (2017) of Seventh Schedule of the Constitution of India.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.2018.

I would also like to mention that another Bill was introduced in 2010 where the basic purpose of the Bill was mentioned in the introduction – 'To provide for proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all dams of certain parameters in India to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.'

This line is missing in this Bill of 2018. Once you have that line of 2010, that actually gives scope for the Parliament to implement a regulation. ... (Interruptions) But in this present Bill of 2018, that is not there. ... (Interruptions) Further, I would also like to mention that the preamble of the Dam Safety Bill of 2010 does not find place in the present Bill of 2018 and it is a State Subject. ... (Interruptions)

Lastly, I would also mention that the Committee, which was formed subsequently takes note that the regulation of safety of dams has not yet been declared by the Parliament to be expedient in public interest. ... (Interruptions) However, they are not inclined to accept the view that the Parliament has no power to make laws on this subject as stated in the preamble of the Bill of 2010. ... (Interruptions) That does not find place in the Bill of 2018. ... (Interruptions) Therefore, I stand here and would like to state that our Party opposes the introduction of this Bill. ... (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैडम स्पीकर, हमारे बहुत ही विद्वान साथी ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज़ किए हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 15वीं लोक सभा में यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। ...(व्यवधान) उसके बाद यह स्टैंडिंग कमेटी में गया। ...(व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। उसके बाद 15वीं लोक सभा लैप्स हो गई, इसलिए 16वीं लोक सभा में फिर

यह आया। ...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कंपिटेन्सी का क्वैश्वन रेज किया है। ...(व्यवधान) अगर ये आर्टिकल 252 पढ़ेंगे, तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर दो राज्य सहमत हैं, प्रस्ताव पास होता है। ...(व्यवधान) हमारे पास आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का प्रस्ताव पास होकर आया था। ...(व्यवधान) इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की यह लेजिस्लेटिव कंपिंटेन्सी है। ...(व्यवधान) आर्टिकल 252, अगर ये आर्टिकल 246 और सेवेंथ शेड्यूल की एंट्री 56 और 97 एक साथ पढ़ेंगे, तो भर्तृहरि महताब साहब को यह समझ में आ जाएगा कि यह पूरा हमारी लेजिस्लेटिव कंपिटेन्सी में है, इसलिए मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं।

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for surveillance, inspection, operation and maintenance of specified dams for prevention of dam failure related disasters and to provide for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Madam, I introduce the Bill.

^{*} Introduced with the recommendation of the President.

12 13 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमित दी गई है, उनमें जो सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे तुरन्त मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

...(व्यवधान)

^{*} Treated as laid on the Table.

(i) Need to run a Toy Train between Mussoorie and Dehradun in Uttarakhand

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं केंद्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड की ओर दिलाना चाहती हूँ। मसूरी उत्तराखंड सिहत देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां पूरे वर्ष देश-विदेश के लाखों पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून-मसूरी के बीच टॉय ट्रेन चलाने की मांग यहां के स्थानीय निवासी तथा व्यापारी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। अभी देश के पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों में टॉय ट्रेन चलती है। विशेषकर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थल शिमला-कालका के बीच टॉय ट्रेन चलती है। मसूरी-देहरादून के बीच टॉय ट्रेन चलाने से स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे देश-विदेश के और अधिक पर्यटक मसूरी घूमने आयेंगे।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए मसूरी-देहरादून के बीच टॉय ट्रेन चलाने की कार्य योजना तैयार कर, स्वीकृति देने का कष्ट करें।

(ii) Need to enact a law to regulate functioning of sports federations in the country

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): देश के खेल जगत में चाहे बी.सी.सी.आई. हो या अन्य खेल महासंघ जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबाल एवं अन्य एथेलेटिक महासंघों में चुनावों में पारदर्शिता न होने एवं भ्रष्टाचार तथा शोषण के आरोपों पर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर तात्कालिक समाधान देने की कोशिश की है। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। इस कारण से खिलाड़ियों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए उसका चयन, ड्रेस, भोजन, कोच, स्पोर्ट्स फिजियो, डॉक्टर एवं मैदान जरूरी चीज़ें हैं। सरकार इसमें मदद करती है, लेकिन महासंघों की स्वेच्छाचारिता ने इसे सशक्त एवं न्यायप्रिय नहीं बनने दिया।

अतः मेरी मांग है कि संसद में नया कानून ला कर इन किमयों को दूर कर देश के गौरव को बढ़ाने वाले युवा-युवितयों को संरक्षण देना समय एवं देश की मांग है। खेल मैदानों के रख-रखाव की जिम्मेदारी इन खेल संघों के ऊपर होना चाहिए।

(iii) Need to expedite launching of ropeway service at Jalore Fort in Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौर जिले में स्वर्णागरी दुर्ग एक हजार साल का ऐतिहासिक वैभव समेटे हुए हैं। इस दुर्ग से स्थापत्य कला का सौन्दर्य झलकता है। जालौर का स्वर्णागरी दुर्ग शौर्य व देशभिक्त का अनुकरणीय उदाहरण है। 28 जून, 2017 को दुर्ग तक रोप-वे के लिए 8.82 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें 7 करोड़ रूपए तक रोप-वे पर खर्च करना है। शेष राशि टूरिज्म फेसिलिटी सेंटर, सर्फेस पार्किंग, सीढ़ियों के लिए रेलिंग, पेयजल, स्वच्छता बैठने के लिए बेंच अदि पर खर्च किया जाना है। जारी की गई राशि की तिथि से अगले 18 माह में यह कार्य पूर्ण करना था। परंतु इतने दिनों के बाद भी इसका कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

अतः आपसे आग्रह है कि जालौर दुर्ग पर उड़न खटोले का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए।

(iv) Need to provide drinking water in Darbhanga Parliamentary Constituency, Bihar and also compensation to farmers who lost their crops due to inadequate irrigation facilities

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): दरभंगा संसदीय क्षेत्र के कई प्रखंडों में जल स्तर में सामान्य स्तर से काफी गिरावट के कारण, जल संकट की समस्या से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है।

पेयजल अभाव के साथ-साथ क्षेत्र में इस जल समस्या से कृषि को काफी नुकसान पहुँचा है जिससे कि दरभंगा व आस-पास के किसानों को आर्थिक हानि हुई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र के किसानों को हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित राहत राशि तत्काल मुहैया की जाए तथा क्षेत्र को सुलभ पेयजल आपूर्ति बहाल कराने हेतु उचित पैकेज की व्यवस्था की जाये। भविष्य में ऐसी समस्या न हो उसके लिए जो भी संसाधन उपलब्ध करवाने हो उस पर सरकार संज्ञान ले ताकि आगामी वर्षों में किसान भाई-बहनों को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े।

(v) Need to set up new thermal power plants at Chandrapura and Bokaro in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखण्ड का औद्योगिक जिला बोकारो के चन्द्रपुरा में दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) द्वारा 1960 के दशक में 1883 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र की कुल छः ईकाइयाँ क्रमशः स्थापित की गई थीं। जिसमें से 4,5,6 नं. इकाई दशकों पूर्व तकनीकी कारणों से बंद की जा चुकी हैं और 130X3 मेगावाट क्षमता की 1,2,3 नं. इकाई से अनवरत उत्पादन जारी रहने के बावजूद भी विगत वर्षों में आधिकारिक तौर पर रिटायर घोषित की जा चुकी हैं। वर्तमान में नव स्थापित 250X2 मेगावाट क्षमता की 7,8 नं. इकाई से वर्ष 2010-11 से व्यवसायिक उत्पादन जारी है। लेकिन पुरानी छः ईकाइयों के बंद होने से उसमें वर्षों से कार्यरत ठेका श्रमिकों के समक्ष रोजी-रोटी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित होने के कारण उस क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक विकास अवरूद्ध हो गया है। इसलिए मेरे द्वारा सभी सक्षम स्तर पर 630X2 मेगावाट क्षमता की दो सुपर क्रिटिकल ईकाई स्थापित करने की माँग लगातार की जा रही है। क्योंकि चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र कोयलांचल के हृदय स्थली में स्थित है। यहाँ नई ईकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक रेल, रोड, वाटर आदि की बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ भूमि, स्थाई श्रमबल, कोल हैंडलिंग प्लांट, वाटर सप्लाई सिस्टम, हेवी मशीनरी अनुरक्षण भवन, स्टोर शेड, रेलवे यार्ड, स्विच यार्ड, कंप्रेशर हाउस, ऐश पॉड सहित तमाम एक्जलरी यूनिट के अलावा आवास, अस्पताल, विद्यालय, अतिथि गृह, क्लब, कैंटीन आदि लगभग 70 प्रतिशत बुनियादी सुविधा पूर्व से उपलब्ध है। इसी प्रकार बोकारो थर्मल में डी.वी.सी. द्वारा 1980 के दशक में 210X3 मेगावाट क्षमता की स्थापित तीन ईकाइयों में से 1,2 नं. ईकाई को आधिकारिक तौर पर रिटायर घोषित किया जा चुका है, वहाँ भी उपरोक्त तमाम स्विधा पूर्व से उपलब्ध हैं।

अतएव मेरा आग्रह है कि चन्द्रपुरा एवं बोकारो थर्मल में उपरोक्त तमाम सुविधा की उपलब्धता के कारण दोनों स्थानों पर 630X2 मेगावाट क्षमता की नई तापीय ईकाई स्थापित की जाए। क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत बुनियादी सुविधा की उपलब्धता के कारण औसत लागत से न्यूनतम लागत पर

630X2 मेगावाट क्षमता की दो-दो नई ईकाइयों की स्थापना हो सकती है। उक्त दोनों स्थानों पर नई ईकाइयों की स्थापना से हजारों ठेका श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न रोजी-रोटी का संकट दूर होगा। देश में 24X7 बिजली की आवश्यकता पूर्ण होने के साथ-साथ उस क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने हेतु डी.वी.सी. की स्थापना का उद्देश्य भी पूर्ण होगा।

(vi) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Debua Posi in Singhbhum Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में डेबूआ पोसी स्थान पर एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेत् केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रस्ताव लम्बित है। इस प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के लिए रेलवे द्वारा रेलवे भूमि दी जा चुकी है। डेबूआ पोसी एक खनिज बहुल्य स्थल है, जहाँ पर खनिज उत्पादन करने सम्बंधी कई उद्येग कार्यरत हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं। खनिज से संबंधित टिस्को यहाँ पर कार्यरत है। रेलवे के अधिकारी एवं रेलवे कर्मी काफी संख्या में रहते हैं। दूसरी जगह से स्थानांतरण होने पर या दूसरी जगह से यहाँ आने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पठन-पाठन में दिक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय वाला पाठ्यक्रम को संचालित करने वाला कोई विद्यालय मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम के डेब्रुआ पोसी में प्रस्तावित केन्द्रीय

विद्यालय को शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाए।

(vii) Need to provide stoppage to various trains at railway stations under Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र और पूर्व-मध्य रेलवे के कई स्टेशनों परैया, गुरारू, रफीगंज, फेसर, बधोई कुशा हाल्ट, अनुग्रह नारायण रोड पर कई मेल/एक्सप्रेस और सवारी रेलगाड़ियों का ठहराव, रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने और यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु वर्षों से कई पत्र और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से कई बार माननीय रेल मंत्री, संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कार्रवाई शून्य है।

पत्र में उल्लेख है कि भभुआ रोड स्टेशन 'सी' श्रेणी का स्टेशन है जबिक अनुग्रह नारायण रोड 'ए' श्रेणी का स्टेशन है। इसके विपरीत भभुआ स्टेशन पर 8 जोड़ी रेलगाड़ियों का ठहराव है जबिक उक्त 'ए' श्रेणी स्टेशन पर 'सी' श्रेणी के स्टेशन पर ठहरने वाली रेलगाड़यों का भी ठहराव नहीं है।

मेरे क्षेत्र के अधिकांश स्टेशन उग्रवाद से प्रभावित है, ट्रेनों के ठहराव होने से यात्री बिना किसी स्टेशन पर इंतजार कर और बिना ट्रेन को बदलकर ठहराव स्टेशन से अपने घर जा सकते हैं।

मेरा आग्रह है कि सरकार और महाप्रबंधक पूर्व-मध्य रेलवे एवं अन्य अधिकारियों को मेरे द्वारा प्रेषित बोधगम्य एवं विस्तृत मांग पर पुनर्विचार करते हुए प्रस्तावित सभी रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव, स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए यात्री सुविधाओं का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा की जाये।

(ix) Need to stop the move to close down schools having fewer number of students in Jharkhand and also regularize the services of eligible para teachers in the State

श्री राम टहल चौधरी (राँची): मेरे गृह राज्य झारखण्ड में साक्षरता का स्तर अन्य राज्यों से काफी कम है, विशेषकर महिला-साक्षरता बहुत ही कम है। झारखण्ड में अधिकांश शिक्षण कार्य पारा शिक्षकों के माध्यम से किया जा रहा है। आदिवासी, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ समय से छात्रों के अभाव में स्कूल बद किए जा रहे हैं। स्कूल बंद होने से उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र शिक्षा सुविधा से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि दूर स्कूल में बच्चे नहीं जाना चाहेंगे, न ही अभिभावक दूर स्कूल में अपने बच्चों को कई कारणों से भेजेंगे। शिक्षकों की कमी के कारण भी छात्र नहीं आते। एक तरफ तो भारत सरकार शिक्षा के अधिकार को लागू करने एवं देश में शत-प्रतिशत साक्षरता के कार्य में संलग्न है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में भी छात्र कम होने से स्कूल बंद किए जा रहे थे, परंतु अटल जी ने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने एक भी स्कूल बच्चों की कमी से बंद नहीं होने दिया। इसके बावजूद कई और स्कूलों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया गया। सभी राज्य अपने राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और छात्रों को कई सुविधा दिला रहे हैं। न जाने क्यों झारखण्ड राज्य में छात्रों की कम संख्या को आधार बनाकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इन स्कूलों, विशेषकर झारखण्ड के एस.सी., एस.टी., और ओ.बी.सी. बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो पारा शिक्षक स्थाई टीचर बनने की पात्रता को पूरा कर रहे हैं, उनको स्थाई किया जाए या उनका मानदेय बढ़ाया जाए।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि झारखण्ड में एक भी स्कूल छात्रों की कम संख्या दिखाकर बंद न किया जाए और जो पारा शिक्षक सभी मानदण्डों को पूरा करते हैं, उनको स्थाई किया जाए।

(ix) Need to include Udaipur city in Rajasthan under B-2 category cities

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर शहर की ओर सरकार का ध्यान चाहता हूँ कि पूर्व में उदयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4 लाख 51 हजार 200 थी। वर्ष 2001 को सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उदयपुर शहर की जनसंख्या में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि को यदि आधार माना जाए तो वर्ष 2016 तक जनसंख्या लगभग 5 लाख को पार कर चुकी है तथा उदयपुर शहर के पेरीफेरी में 34 राजस्व ग्रामों को यू.आई.टी. क्षेत्र में माना गया है इन ग्रामों की जनसंख्या व उनमें भी वर्ष 2016 तक हुई वृद्धि को जोड़ा जाए तो जनसंख्या लगभग 7.50 लाख से उजपर जाती है तथा वर्ष 2001 से वर्तमान वर्ष 2018 तक हुई वृद्धि को यदि आधार माना जाये तो उदयपुर शहर 'बी-2' श्रेणी का हक रखता है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वर्ष 2001 से वर्ष 2018 तक उदयपुर शहर में हुई जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उदयपुर शहर को अतिशीघ्र बी-2 श्रेणी का दर्जा दिया जाये जिससे यहां के सरकारी कर्मचारियों एवं जनता को बी-2 श्रेणी के सभी लाभ प्राप्त हो सकें।

(x) Need to ban plastic for packaging food items and take adequate measures for recycling of plastic garbage

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्लास्टिक की जितनी खपत होती है, उसका 70% कचरे के रूप में डंप किया जाता है।

सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी रिपोर्ट आई.आई.टी. व सी.आई.एस.आर. लखनऊ द्वारा एक अध्ययन में बताया गया है उक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री जिसका डम्प किया जाता है, वह जहरीले गैसों को छोड़ने के साथ ही खतरनाक कैंसर जन्य तत्वों का लीचिंग करके मिट्टी व पानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

खाद्य पदार्थों की प्लास्टिक पैकेजिंग स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि प्लास्टिक से लीड, एंटीमोनी, कैडिमयम और फाथेलेट की लीचिंग खाद्य पदार्थों में होती है, जिसकी पृष्टि ए.आई.एच.एच. के प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा भी की गई है। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, अनुसंधान व प्रयोगशाला परीक्षणों ने प्लास्टिक में पैक खाद्य, फार्मा व डम्प प्लास्टिक से पानी व मिट्टी में कैंसर यौगिकों की लीचिंग की पृष्टि हुई है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि खाद्य पदार्थों के लिए प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए व डम्प प्लास्टिक कचरे की रिसाईक्लिंग या अन्य हानिरहित प्रावधानों के लिए सरकार विचार करे।

(xi) Need to introduce All India Judicial Services

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Nowhere in the world, Judges appoint Judges, except in India. The worst is happening where there are no defined parameters of merit to select the judges and appointments are made through nepotism, on caste basis and teacher disciple relation. A common man, cannot afford to knock the doors of High Courts and Supreme Court to seek justice as remuneration of effective and senior advocates runs into lakhs and crores. The PIL has caused more harm than good. Elite and favoured lawyers join hands with few private citizens to file PIL and get the law made for whole society without their opinion which is undemocratic. How can a few petitioners, lawyers and judges know the opinion of millions of people? What 545 Members of Lok Sabha cannot do, judges do in minutes. To strike balance between the legislature, executive and judiciary either NJAC be restored or All India Judicial Services be introduced.

(xii) Need to provide special package to Kerala affected by floods

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): The floods that hit Kerala in July 2018 were one of the worst disasters the world has seen this year. The calamity was of unprecedented severity and 493 people lost their lives, more than 16000 houses were destroyed or damaged and around 4 lakh people were affected. 60,000 hectares of agriculture land were severely affected and 15,400 kms of roads damaged. The State's infrastructure and economy was battered and it will take a long time for recovery. Studies have estimated the total loss incurred by the state stood at Rs.31000 crore. Government of Kerala has submitted a memorandum to the Central Government requesting for an assistance of Rs. 5616 crore. The state is struggling for reconstruction and relief activities. This should be treated as a calamity of rare severity and a special package may be provided to Kerala.

(xiii) Need to provide financial assistance to cyclone-hit Tamil Nadu

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Tamil Nadu faced a severe cyclonic storm 'Gaja on the night of 15th November 2018 and early hours on 16th November 2018, during which 12 districts of the State were severely affected. The Gaja Cyclone left a trail of destruction, especially in Nagapattinam, Tiruvarur, Thanjavur, Pudukkottai and Dindigul Districts. Many trees were uprooted. Power Transmission infrastructure, roads, rural assets, plantation crops, agriculture and horticulture crops suffered extensive damage and the normal life was out of gear. Inspite of Tamil Nadu State Government's best efforts, 45 human lives were lost due to falling of trees, wall collapse etc., and in 12 districts infrastructure viz., roads, power, housing etc., faced the brunt of the cyclone's fury. One person died during restoration operations in Dindigul district.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu met Hon'ble Prime Minister on 22 November 2018 and sought central assistance of Rs 15,633.14 Crore for carrying out relief and rehabilitation work after destruction caused by Cyclone Gaja in the State. Hon'ble Chief Minister also urged the Prime Minister for an immediate release of Rs 1,500 crore towards "temporary renovation" work. Based on an interim memorandum submitted by the Tamil Nadu government for additional assistance, the Central Government constituted an Inter-ministerial Central Team on 20 November 2018 and that Central Team visited areas affected by Gaja in Tamil Nadu from 23 to 27 November 2018.

Meanwhile, it is learnt that the Union Government has approved the release of only Rs. 353.70 crore to Tamil Nadu as assistance for the damage caused by Cyclone Gaja. This interim relief is the second instalment of the central share of State Disaster Response Fund (SDRF) for the year 2018-19 in providing relief measures to the affected people. Government of Tamil Nadu has been repeatedly giving representations for revision of norms for assistance under NDRF/SDRF. Hon'ble Chief Minister announced Rs.10 lakhs (including SDRF and Special Assistance) to families who lost their breadwinner. As on date, the State Government has released Rs. 707.86 crores under SDRF. The State government will need a sum of Rs. 723.14 crores for immediate relief and temporary restoration from NDRF and Rs. 14910 crore for subsequent permanent restoration as special assistance from Government of India. The total requirement sought from Central Government is Rs. 15633.14 crore.

I, therefore, urge upon the Union Government to immediately release an amount of Rs. 15633.14 crore to cyclone hit Tamil Nadu, as demanded by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu.

(xiv) Need to set up Multi-purpose cyclone Centres in Tamil Nadu

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Of the 7,516 km long coastline of India, close to 5,700 km is prone to cyclones and tsunamis; 68 per cent of the cultivable area is vulnerable to drought and hilly areas are at risk from landslides. The Coastal areas of Tamil Nadu are increasingly becoming vulnerable to tropical cyclones and the consequent recurrent loss of life and property. The National Disaster Management Authority (NDMA) under the Chairmanship of Hon'ble Prime Minister supervises the "National Cyclone Risk Mitigation Project". To minimize vulnerability to cyclones and make people and infrastructure disaster resilient in cyclone hazard prone area in the country, Multipurpose Cyclone Centres have been established. The construction of high raised, pillared buildings to keep people safely away from flood waters, provision for first aid centre with storage of medicines and drugs, drinking water, kitchen, toilets, ambulance and storage godowns constitute the establishment of the Multipurpose Cyclone Centres.

While the Government has constructed 567 such Multipurpose Cyclone Centres in Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat and West Bengal, none were constructed in Tamil Nadu. Out of 353 Multi-purpose Cyclone Centres to be constructed in the second phase, Tamil Nadu was again omitted. The Coastal Districts of Tamil Nadu were continuously devastated by Tsunami in 2004 and cyclones Thane, Nilam, Vardah, Ockhi and now Gaja. The Union Government

had not considered Tamil Nadu and it is unfortunate that not even a single Multipurpose Cyclone Centre was constructed.

Therefore, I urge the Union Government to include Tamil Nadu in this scheme and take immediate action for establishment of Multipurpose Cyclone Centres in the State and take appropriate measures for prevention, mitigation, capacity-building and preparedness to combat cyclones.

(xv) Regarding devastation caused by cyclone 'TITLI' in Sirkakulam district of Andhra Pradesh

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): On October 11, Srikakulam which is among the most backward region in South India, was affected by a very severe cyclonic storm - Titli. It inflicted colossal damage to human lives, crops, property, and public infrastructure. Losses are estimated to be upwards of Rs. 3400 crore. More than half of these losses (Rs.1800 crore) are accounted for by agriculture and horticulture. More than 40,000 hectares of longterm standing crops of Cashew, Mango, and Coconut have perished in Uddanam, a region in Srikakulam. The Government of Andhra Pradesh undertook massive relief efforts involving 15 of its Cabinet Ministers, many IAS Officers, and more than a hundred Deputy Collectors. Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh personally supervised and the entire Secretariat moved to Palasa, the region where the cyclone made landfall, for seven days. Home Minister Rajnath Singh was present during the Cyclone period for laying foundation stone in Guntur and assured that 'whatever needs to be done for AP will be done.' And yet, he did not find it necessary to fly to Srikakulam for personally assessing the destruction caused by the cyclone.

It is imperative to declare this cyclone as a National Calamity. There has been tremendous response from civil society, companies, and government employees to help Srikakulam get back on its feet. The UN Secretary-General himself has expressed sadness over this disaster and assured support to the Government of India for relief efforts, but the Centre has remained unresponsive.

Central Government has failed in its responsibility to facilitate the restoration process in Srikakulam. The Centre needs to realize the enormity of the task involved in reconstruction and rehabilitation of Srikakulam.

(xvi)Need to include Tulu language in the Eighth Schedule to the Constitution

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Tulu base is a Dravidian language spoken mainly in the south west part of the Indian state of Karnataka and also in the Kasaragod district of Kerala. The Tulu speaking region is often referred to as Tulu Nadu. The native speakers of Tulu are referred to as Tuluva or Tulu people.

The Indian census report of 2011 reported a total of 1,846,427 native Tulu speakers in India. The 2001 census had reported a total of 1,722,768 native speakers. According to one estimate reported in 2009, Tulu is currently spoken by 3 to 5 million speakers in the world. So I kindly request the Government to include Tulu language in the VIII Schedule to the Constitution.

(xvii) Regarding fixation of Minimum Support Price

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The MSP approved by the Centre is way lower than those recommended by the Maharashtra State Government in 2017-18 and 2018-19. For example, MSP for long staple cotton approved by the Centre for 2018-19 is Rs. 5450 per quintal compared to the State recommended price of Rs. 7272 per quintal. Procurement for this low cotton MSP has been delayed in Maharashtra. In case of green gram and Urad, procurement in September & October 2018 at MSP through APMCs was yet to begin, because of which the farmers made distress sales at spot price. In these two months alone, moong dal farmers in Maharashtra suffered loss of Rs. 6.9 crore, and urad farmers Rs. 6.2 crore. Hence, I urge the Centre to determine MSP using more comprehensive C2 formula and increase the procurement of foodgrains without delay, as recommended by MS Swaminathan Committee.

(xviii) Need for all-round development of Rajgir, Nalanda and Bodh Gaya in Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बुद्ध की स्थली बोध गया और राजगीर में विश्व के कोने-कोने से लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं। ये दोनों तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। ज्ञान की नगरी नालंदा में लगभग 800 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है। इस ज्ञान की भूमि नालंदा की हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से आज विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान स्थापित हुई है। नालंदा में ही पावापुरी एवं कुण्डलपुर भगवान महावीर जी की जन्मस्थली है। इन दोनों तीर्थस्थलों पर हजारों जैने धर्म के अनुयायी एवं अन्य तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं। राजगीर के बेनुवन विहार में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ कई चतुर्मास किए थे। यह स्थान बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए धर्म शक्ति-पीठ की भाँति है। बौद्ध ग्रन्थ विनय पिटक के अनुसार बेनूवन स्थान बौद्ध संघ के लिए परम पवित्र स्थल है जो कि भगवान बुद्ध के बताए मार्गों की झलक प्रस्तुत करती है। यह स्थल बौद्ध अनुयायियों के लिए तप व साधना का केंद्र बन चुका है। आज इस महापवित्र स्थल की स्रक्षा, संरक्षण एवं इसे और अधिक विकसित कर प्राने वैभव को लौटाने की आवश्यकता है। राजगीर में ही रत्नागिरी पर्वत पर अवस्थित भगवान बुद्ध की प्रिय तपस्थली गृधकुट है, जहाँ सूर्योदय के समय ध्यान और तप की मुद्रा में भगवान बुद्ध विराजमान रहते थे। गृधकुट पर्वत को ही गौरव प्राप्त है कि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व एवं ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। इस स्थल पर बौद्ध अनुयायियों को पूजा करते वक्त भगवान बुद्ध की अनुभूति महसूस होती है। गृधकुट से तीर्थ यात्री राजगीर की नैसर्गिक छठा एवं हरियाली से सुसज्जित वादियों का अवलोकन कर भाव विभोर हो जाते हैं। राजगीर में ही पंच पहाड़ी से घिरे अत्यन्त ही रमणीय घोड़ा-कटोरा झील की छठा को देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। किन्तु आज राजगीर, नांलदा, बोधगया विकास की दृष्टि से उपेक्षित है। इन स्थलों का समुचित विकास नहीं हुआ है। यहाँ इतने पर्यटक आते हैं कि रेलगाड़ियाँ भी कम पड़ जाती है। सड़क मार्ग स्गम नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ही 4 से 6 घंटे लग जाते हैं।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि राजगीर, नालंदा और बोध गया का समुचित विकास करे। सड़क मार्ग को सुगम बनाए, जिससे कि पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को इन तीर्थस्थलों पर पहुँचने में सुविधा हो। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय लाईब्रेरी, हवाई अड्डा और पाँच सितारा होटल की व्यवस्था की जाए।

(xix) Need to fill vacant posts of teachers in the country

SHRI RAJU SHETTY (HATKANANGLE): Recently, it was learnt that more than 1,00,000 (one lakh) posts of teachers are lying vacant in the country. About 25,000 posts are lying vacant in Maharashtra.

With so many vacancies, who will teach children? Does State Government feel that education is non-productive, non-profitable business? Even Hon'ble Maharaja Sayaji Rao Gaikwad, Vadodara and Hon'ble Rajshree Chatrapati Shahu Maharaja of Kolhapur earmarked six percent of the total budget for education.

I, therefore, urge the Government to fill up posts of teachers immediately.

Central Government should come forward to help State Governments. The financial provision should be made urgently to stop drop out of rural children.

(xx)Need to establish a Kendriya Vidyalaya at Punalur in Kollam, Kerala

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Punalur is the thickly populated area in my Constituency Kollam, Kerala. Students depend on private schools for their education under CBSE. Central Government, State Government and public sector institutions are located in and around Punalur. The children of Central Government employees also depend on private sector for the education of their children. The high fee and other charges in private sector are beyond the paying capacity of employees and common man. There is a demand for establishment of Kendriya Vidyalaya at Punalur, Kollam, Kerala.

Hence, I urge upon the Government to initiate urgent action to establish a Kendriya Vidyalaya at Punalur, Kollam.

माननीय अध्यक्ष : आज गुरु तेग बहादुर जी के बारे में प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी आप कुछ कहना चाहेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदया, आज गुरु तेग बहादुर साहब का बिलदान दिवस है। मैं सारे हाउस से कहना चाहता हूँ कि भारत की इस संसद की ओर से गुरु तेग बहादुर साहब को ट्रिब्यूट दी जाये। ...(व्यवधान) अगर गुरु तेग बहादुर साहब बिलदान न देते, तो इस देश में अलग-अलग धर्म नहीं होते, अलग-अलग भाषायें न होतीं, अलग-अलग सभ्याचार न होते। ...(व्यवधान)

महोदया, इतिहास गवाह है, मकतूल कातिल के पास चलकर गया। इतिहास में कातिल तो मकतूल के पास जाता है, लेकिन आनंदपुर साहब से चलकर मकतूल कातिल के पास गया। ...(व्यवधान)

मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान दिवस को देश भर में बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाये और गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी दिन पर छुट्टी की जाए। ...(व्यवधान)

महोदया, गुरु गोबिन्द सिंह जी ने कहा था,

"तिलक जंजू राखा प्रभ टाका, कीनो बड़ो कलू में साका। सादन हेत इत जिन करी, शीश दिया पर सी न उचरी।"

उन्होंने दूसरी बात कही थी,

"ठीकर फोड़ दिलीस सिर, प्रभु पुर कीया पयां, तेग बहादुर सी किरया, करी न किन्हूं आन।"

गुरु तेग बहादुर साहब ने हमें एक संदेश दिया है।

"मैं कहूं को देत रहे, न भये मान तान, जियो और जीने दो।"

महोदया, मैं आपके माध्यम से इस संसद के सारे मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आज गुरु तेग बहादुर साहब को सत्कार भेंट करने के लिए सभी पार्टियों के लोग और सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी दो मिनट उनकी शहादत पर, उनके सत्कार पर दो शब्द बोलें और उनको श्रद्धांजलि दें।...(व्यवधान)

आज के दिन को भारतवर्ष में 'बिलदान दिवस' के तौर पर मनाया जाए। मैं समझता हूं कि इससे उनका बहुत सत्कार होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, do you not want to run the House? Do you not want to say anything? I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Thursday, the 13th December, 2018 at 11 a.m.

12 16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 13, 2018/Agrahayana 22,1940 (Saka.)